आर. जी. गुप्ता
अध्यक्ष
विद्युत वितरण कम्पनीज, राजस्थान

विद्युत भवन, जनपथ
जयपुर-302 005

क्रमांकः अध्यक्ष (डिस्कॉम्स)/एमआईएस/पत्रा. /प्रे. 159 जयपुर, दिनांक 29.09.2014

कार्यालय आदेश

शहरी क्षेत्रों में वितरण छीजत कम करने के लिए अध्यक्ष डिस्कॉम द्वारा जारी **लॉस रिडक्शन मैन्यूअल** (अध्यक्ष डिस्कॉम/टी.ए./00/प्रे. 589 दिनांक 2.6.2009) में निर्देशित बिन्दू (2) चैप्टर–3 के अनुरूप प्रत्येक वितरण ट्रांसफार्मर पर सभी जिला मुख्यालयों, नगरपालिका क्षेत्रों तथा 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों में विद्युत छीजत 5 प्रतिशत तक लाना लक्षित है। 18 सितम्बर, 2014 को आयोजित वीडियों कॉफ्रेंस में अधिकारियों द्वारा इस कार्य में प्रगति से अनभिज्ञता जाहिर की जो कि अत्यन्त गंभीर विषय है। शहरी क्षेत्रों में विद्युत छीजत को लक्षित 5 प्रतिशत सीमा में लाने हेतु निम्न निर्देश दिये जाते है। :–

1. शहरी क्षेत्रों (जिला मुख्यालय, नगरपालिका क्षेत्र एवं 5000 से अधिक आबादी वाले गांव) में 11/0.4 केवी वितरण ट्रांसफार्मरों पर विद्युत छीजत अधिकतम 5 प्रतिशत की सीमा तक लाने का लक्ष्य है। ट्रांसफार्मरवार विद्युत छीजत की गणना के उपरान्त फीडरों को निम्न चार श्रेणियों में विभक्त किया जावेः–

   ए – विद्युत छीजत का स्तर 5 प्रतिशत तक

   बी – विद्युत छीजत का स्तर 5 से अधिक व 8 प्रतिशत तक

   सी – विद्युत छीजत का स्तर 8 से अधिक व 12 प्रतिशत तक

   डी – विद्युत छीजत का स्तर 12 प्रतिशत से अधिक

2. ऐसे वितरण ट्रांसफार्मर जिनके मीटर क्रियाशील है, उनसे संबंधित उपभोक्ताओं की कन्जूमर इन्डेक्सिंग का कार्य 31 अक्टूबर, 2014 तक आवश्यक रूप से कराते हुये, बिलिंग के डाटाबेस में इंद्राज करा कर माह नवम्बर, 2014 से इन सभी वितरण ट्रांसफार्मरों की विद्युत छीजत की गणना की जावे।

फोन : (0141) 2747064 (का.) • फैक्स : (91) (141) 2747015 • ई–मेल : chairmandiscoms@jvvnl.in

3. ऐसे वितरण ट्रांसफार्मर जिन पर मीटर कियाशील नहीं है, उनके मीटरों को बदलकर कन्जूमर इण्डेक्सिंग का कार्य इस प्रकार किया जावे कि उनकी विद्युत छीजत की गणना आगामी दूसरे माह में उपलब्ध हो सके।
4. वितरण ट्रांसफार्मरों पर मीटरिंग का कार्य मार्च, 2015 तक पूरे करने के लिये संभागीय मुख्य अभियन्ता प्रभारी अधिकारी होंगे। इस कार्य हेतु अधीक्षण अभियन्ता (आईटी) व मुख्य अभियन्ता (पदार्थ प्रबंध) उनके क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप 15 अक्टूबर,2014 तक रोडमेप तैयार कर 31 अक्टूबर,2014 तक रोडमेप अनुरूप सामान व डेटा ट्रांसफर के साधन वृत स्तर पर उपलब्ध करायेंगे। वितरण ट्रांसफार्मर की मीटरिंग के साथ ही कन्जूमर इण्डेक्सिंग व बिलिंग सिस्टम में डेटा की पूर्ति निर्धारित समय सीमा में कराया जाना अधीक्षण अभियन्ता द्वारा सुनिश्चित किया जावे ।
5. संबधित वृत के लेखाधिकारी व निगम स्तर पर मुख्य लेखाधिकारी व अधीक्षण अभियन्ता (आईटी) कन्जूमर इण्डेक्सिंग के डेटा बिलिंग एजेंसी में प्राप्त होने पर तीन दिवस में बिलिंग सिस्टम में फीड कराने व वितरण ट्रांसफार्मरों पर उपभोक्ताओं द्वारा की गई विद्युत खपत की सूचना बिलिंग एजेन्सी द्वारा उपखण्ड स्तर तक मासिक रिपोर्ट के साथ उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
6. शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरवार विद्युत छीजत की गणना हेतु आवश्यक मीटरिंग उपकरणों की उपलब्धता एवं मासिक लक्ष्य का निर्धारण एवं प्रगति की मॉनीटरिंग हेतु निदेशक (तकनीकी) एवं प्रबंध निदेशक रोड मेप तैयार कर 7 दिवस में अध्यक्ष डिस्कॉम को प्रस्तुत करें।
7. शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मर पर 5 प्रतिशत से अधिक विद्युत छीजत होने पर निम्न अधिकारी उत्तरदायी होगें एवं 5 प्रतिशत की सीमा में लाने हेतु उत्तरदायी अधिकारी प्रत्येक वितरण ट्रांसफार्मर क्षेत्र का अध्ययन कर विद्युत चोरी संभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर विद्युत चोरी रोकने के लिये लगातार सतर्कता जांच करावें, बन्द पड़े मीटरों को बदले, समय पर बिलिंग, स्थायी रूप से विच्छेदित कनेक्शनों की जांच एवं 50 हजार से अधिक बकाया होने की स्थिति में सतर्कता शाखा द्वारा जांच कराना इत्यादि कार्यवाही करते हुये आगामी वित्तीय वर्ष में अप्रेल,2015 से शहरी क्षेत्रों में स्थित सभी वितरण ट्रांसफार्मर पर विद्युत छीजत की दर 5 प्रतिशत की सीमा में लाना सुनिश्चित किया जावे।

- 5 प्रतिशत से अधिक होने पर सहायक अभियन्ता
- 8 प्रतिशत से अधिक होने पर अधिशाषी अभियन्ता
- 12 प्रतिशत से अधिक होने पर अधीक्षण अभियन्ता

8. वितरण ट्रांसफार्मरवार विद्युत छीजत कम करने के लिये किये जा रहे प्रयासों की मासिक रिपोर्ट अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अधीक्षण अभियन्ता को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक मय की जा रही कार्यवाही के प्रस्तुत की जावेगी।
9. शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों पर विद्युत छीजत के स्तर की मॉनीटरिंग हेतु सूचना का प्रारूप 'एसओएम 32 दिनांक 23.09.2014 को अधीक्षण अभियन्ता (एमआईएस) द्वारा ई–मेल से भिजवाये जा चुका है। प्रारूप में सूचनायें प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अधीक्षण अभियन्ता द्वारा संभागीय मुख्य अभियन्ता/निदेशक (तकनीकी)/प्रबंध निदेशक को भेजी जावे। प्रबंध निदेशक प्रत्येक माह की 8 तारीख तक संकलित सूचना, मय की जा रही कार्यवाही अध्यक्ष डिस्कॉम्स को ई–मेल द्वारा भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
10. उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के अनुरूप ही संबंधित अधिकारियों के कार्य की समीक्षा वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में दर्ज की जावेगी।

(आर. जी. गुप्ता)
अध्यक्ष, डिस्कॉम्स

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषित है :–

1. प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/ अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
2. निदेशक (वित्त/तकनीकी/पीटी), जयपुर/ अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
3. संभागीय मुख्य अभियन्ता ( ), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, ... को अधीनस्थ सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देशन हेतु ।
4. प्रावैधिक सहायक, अध्यक्ष डिस्कॉम्स, जयपुर।

(टी. एस. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (एम.आई.एस.)